न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 32/2012

1 विनोद कुमार पुत्र झाबरमल जाति सुनार निवासी बिसाऊ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलला पुत्र रामगोपाल।
2 संजय पुत्र मोहनलाल।
3 शरद पुत्र सत्यनारायण समस्त जाति महाजन निवासीगण बिसाऊ जरिये मुख्तयार आम रामचन्द्र पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासीगण कादेसर हल बिसाऊ बाई पास पर पट्रोल पम्प के पास।
4 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती जुलेखां पत्नी मो. हारून खां जाति व्यापारी मुसलमान निवासी बिसाऊ हाल निवासी बम्बई जरिये मुख्तयार अब्दुल सतार पुत्र रसीद जाति व्यापारी मुसलमान निवासी चुरू तहसील व जिला चुरू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय श्री रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा नम्बर 32/2012 उनवानी विनोद कुमार बनाम मोहनलाल आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांकित 16.04.2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कुलदीप सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2012 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम बिसाऊ तहसील झुंझुनू के हाल खसरा नम्बर 311 के सन्दर्भ में आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय नायब तहसीलदा झुंझुनू की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.04.2012 के आधार पर पारित किया है। विचाराधीन मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से तैयार की गई है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में इस सन्दर्भ में आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय ने इस आपत्ति पर कोई विवेचन नही किया है। स्थगन के अभाव मे रेस्पोडेंट विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एलीनेट करने का प्रयास कर सकते है। अत अपील स्वीकार कर ताफैसला वाद स्थगन जारी किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि आवेदक का कोई प्रथम दृष्टया मुकदमा नहीं बनता और न ही आवेदक के पक्ष में सुविधा का संतुलन है तथा किसी तरह की क्षति होने का अंदेशा नहीं है। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 को अपनी स्वअर्जित भूमि को किसी को भी बेचान करने का अधिकार है। मौका कमीश्नर नायब तहसीलदार झुंझुनू की रिपोर्ट कमांक आर.एन.टी./2012/180 दिनांक 13.04.2012 का अवलोकन किया गया। कमीशनर रिपोर्ट के मुताबिक गत खसरा नम्बर 156/3 की भूमि गत खसरा नम्बर 156/5 में नहीं आती है। दोनो खसरा नम्बर के बीच में सड़क का गत खसरा नम्बर 156/5 स्थित है। जो वर्तमान नक्शे के अनुसार मौके पर सही स्थिति में मौजुद है। मौका रिपोर्ट से जाहिर है कि अप्रार्थीगण का जैर बहस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी यह सिद्व नहीं कर पाया कि उसे क्या असुविधा है और किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत कब्जेधारी व्यक्ति की सुरक्षा के प्रावधान है। अप्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का कोई प्रथम दृष्टया मुकदमा नहीं बनता और न ही आवेदक के पक्ष में सुविधा का संतुलन है तथा किसी तरह की क्षति होने का अंदेशा नहीं है। अप्रार्थीगण/विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 को अपनी स्वअर्जित भूमि को किसी को भी बेचान करने का अधिकार है। मौका कमीश्नर नायब तहसीलदार झुंझुनू की रिपोर्ट कमांक आर.एन.टी./2012/180 दिनांक 13.04.2012 का अवलोकन किया गया। कमीशनर रिपोर्ट के मुताबिक गत खसरा नम्बर 156/3 की भूमि गत खसरा नम्बर 156/5 में नहीं आती है। दोनो खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर के बीच में सड़क का गत खसरा नम्बर 156/5 स्थित है। जो वर्तमान नक्शे के अनुसार मौके पर सही स्थिति में मौजुद है। मौका रिपोर्ट से जाहिर है कि अप्रार्थीगण का जैर बहस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी यह सिद्व नहीं कर पाया कि उसे क्या असुविधा है और किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर